

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० सं०-२/शि०स्था०-६०-०९/१७

1696
5.7.2017

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश सख्या-1667 दिनांक-30.06.2017 द्वारा सहायक शिक्षकों (स्नातक प्रशिक्षित) का स्थानान्तरण किया गया है, जिसके क्रमांक-10 पर अंकित श्री मुकेश कुमार भगत, विषय इतिहास का स्थानान्तरण रा० अं० आ० बालिका उ० विद्यालय, हाजीपुर से रा० अं० आ० बालिका उ० विद्यालय, राजवाड़ा, मुजफ्फरपुर किया गया है।

सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं०-14137/2016 संतोष कुमार जंक एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित अंतरिम न्याय निर्णय के आलोक में उक्त विद्यालय में पूर्व से ही इतिहास विषय के शिक्षक पदस्थापित है। अतः श्री मुकेश भगत स्नातक सहायक शिक्षक, विषय-इतिहास के उक्त स्थानान्तरण आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

निदेशक 7/11/17

ज्ञापांक-सं० सं०-२/शि०स्था०-६०-९/१७-1696

पटना, दिनांक- 5.7.2017

प्रतिलिपि:- उपनिदेशक कल्याण तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिला कल्याण पदाधिकारी, वैशाली/ मुजफ्फरपुर/ कोषागार पदाधिकारी, वैशाली, मुजफ्फरपुर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ आई० टी० मैनेजर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग एवं श्री मुकेश कुमार भगत, स्नातक सहायक शिक्षक, रा० अं० आ० बालिका उ० विद्यालय, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 7/11/17